

15-12-21 पत्रावली पेश हुई। अभयपट्ट के वकील उपस्थित।
प्रकरण में मिथ्या इस प्रकार पारित किया जाता
है कि ग्राम भद्रण के ख.न. 817/392 रकबा 1.0517
हेक्टर एवं ख.न. 820/392 रकबा 1.1427 हेक्टर भूमि
में बंटवारा दिनांक 23-4-91 के अनुसार मौके पर
काबिज कारत, उपयोग, उपभोग के आधार पर
जब तक तरमीम की शुरुआत से इन्डज डेक्लरेशन नहीं
होती है, तब तक पाथी के हिस्से की भूमि में
मौके पर काबिज अनुसार पाथी को कारतकाल
में किसी तरह की बाधा, रुकावट, व्यवधान उपन्न
नहीं करे, जबरन बेदखल नहीं करे एवं मौके की

दिनांक कि..... कांफसी



From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी


मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

..... रामदेव

वनाम रतनलाल

किस्म मुकदमा :- 2/2 R-T Act

नंबर 53 वर्ष 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीन में जारी हुए
	<p>यथास्थाने बनाये रखे। इस हेतु अपाठी गण को मूल काद के निर्णय तक अपाठी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जात है निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर लम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	